न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून

फौजदारी वाद संख्या 4540 / 2026

CNR No.- UKDD020184972026

राज्य बनाम जतिन सैनी आदि

मु0अ0सं0– 29 / 2026
धारा–111, 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता,
63, 65 कापीराईट एक्ट,
एवं 66सी, 66डी आई0टी0एक्ट
थाना–साईबर क्राईम, देहरादून

राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक– श्रीमती नीतू आर्या
अभियुक्त गौरव त्यागी के विद्वान अधिवक्ता– श्री सलाउद्दीन एवं पंकज कुमार
अभियुक्त जतिन सैनी के विद्वान अधिवक्ता– सोनाली

सेशन सुपुर्दगी आदेश

दिनांक 14–08–2026

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण जतिन सैनी एवं गौरव त्यागी जिला कारागार देहरादून से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

2. थाना– साईबर क्राईम, जिला देहरादून द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 29 / 2026 में अभियुक्तगण जतिन सैनी एवं गौरव त्यागी के विरूद्ध धारा–111, 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 63, 65 कापीराईट एक्ट, एवं 66सी, 66डी आई0टी0एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2026 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 111, 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 63, 65 कापीराईट एक्ट, एवं 66सी, 66डी आई0टी0एक्ट के अपराध का संज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुपालन में आवश्यक प्रपत्रों की प्रति प्रदान की गयी।

4. अभियुक्तगण पर आरोपित भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 का अपराध माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को उक्त अपराध में विचारण हेतु मामला सेशन सुपुर्द किया जाता है।

5. अभियुक्तगण को दिनांक 22.08.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाये। अभियुक्तगण का धारा 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वारंट निरस्त कर धारा 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वारंट तैयार किया जाय। इस सेशन सुपुर्द आदेश की सूचना जिला लोक अभियोजक, देहरादून को प्रेषित की जाए।

6. कलैण्डर नियमानुसार तैयार कर पत्रावली विचारण हेतु माननीय सेशन न्यायालय देहरादून को प्रेषित की जाए।

दिनांक– 14.08.2026

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।